राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ब्रह्म लाल जाट आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 23/2023 अपील

श्रीमती फूला रेगर पुत्री चुन्नी लाल रेगर पत्नी भैरूलाल रेगर निवासी बडलेश्वर महादेव, कोठारी मोहल्ला के पास, सांगानेर पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

1. पुष्पा पुत्री चुन्नी लाल रेगर पत्नी प्रभूलाल रेगर निवासी सांगानेर हाल तख्तपुरा तहसील हमीरगढ
2. कमलेश पिता प्रभूलाल रेगर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ
3. रेखा पुत्री चुन्नी रेगर पत्नी धनराज रेगर निवासी औज्याडा तहसील हमीरगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 4070 दिनांकित 06.03.2022

उपस्थित –

1. श्री कैलाश राव अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विपक्षी संख्या 01 से 03 स्वयं उपस्थित
3. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट संख्या 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.09.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 ले.रे.एक्ट विरूद्ध तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 4070 दिनांक 06.03.2022 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता की शामलाती खातेदारी अधिकार की एक कृषि आराजी ग्राम सांगानेर में स्थित हैं जिसके खसरा नं. 909, 910, 911, 925 हैं। अपीलाण्ट के पिता की तीन पुत्रियां अपीलाण्ट एवं विपक्षी संख्या 1 व 3 जायंदा संतान हैं। अपीलाण्ट के पिता एवं माता की मृत्यु हो चुकी हैं। विपक्षी संख्या 04 तहसीलदार भीलवाडा ने विधिक वारिसान की जाचं परख किये बगैर उक्त आराजी में से विपक्षी संख्या 02 को भी अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी में से उनका पुत्र बताते हुये खातेदार नामान्तरकरण पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय हैं। विपक्षी संख्या 02 अपीलाण्ट के पिता चुन्नीलाल रेगर का दोहिता है न कि उनका पुत्र हैं। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को 25.03.2023 को हुयी। निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 4070 दिनांक 06.03.2022 को निरस्त किया जाकर विपक्षी संख्या 02

अति. जिला कलक्टर

का नाम हटाया जाकर अपीलाण्ट के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

प्रस्तुत अपील पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपील मेमों को ही बहस मानते हुये प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 से 03 की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमो को ही बहस मानते हुये प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया। अपील मेमों मे वर्णित तथ्यों में निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता की तीन पुत्रियां अपीलाण्ट एवं विपक्षी संख्या 1 व 3 जायंदा संतान हैं। अपीलाण्ट के पिता एवं माता की मृत्यु हो चुकी हैं। विपक्षी संख्या 04 तहसीलदार भीलवाडा ने विधिक वारिसान की जाचं परख किये बगैर उक्त आराजी में से विपक्षी संख्या 02 को भी अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी में से उनका पुत्र बताते हुये उक्त नामान्तरकरण पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय हैं। विपक्षी संख्या 02 अपीलाण्ट के पिता चुन्नीलाल रेगर का दोहिता है, न कि उनका पुत्र हैं। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 4070 दिनांक 06.03.2022 को निरस्त किया जाकर विपक्षी संख्या 02 का नाम हटाया जाकर अपीलाण्ट के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी संख्या 02 के नानाजी ने समाज के मोतबिरान पंचों के सामने गोद में बिठाकर लहरिया पहनाकर बाहैसियत गोदपुत्र स्वीकार किया था। उक्त गोदनामें का पंजीयन कार्यालय भीलवाडा में दिनांक 19.10.2016 को पंजीबद्व कराया गया हैं ताकि गोद संबंधी कोई विवाद नही हो। उक्त गोदनामें के मुताबिक ही नानाजी व नानीजी के फोत होने के उपरांत राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलाण्ट एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 के नाम 1/4 हिस्सा बराबर–बराबर बांटते हुये नामान्तरकरण पारित किया गया जिसमें कोई त्रुटि नहीं हैं। अपीलाण्ट द्वारा बेबुनियाद एवं विधि विरूद्व तरीके से अपील पेश करके मुझे मेरी हक हिस्से की जमीन से वंचित करना चाहते हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील सारहीन तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि प्रकरण में अपीलाण्ट ने उक्त

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नामान्तकरण की अपील लगभग एक वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की हैं, जो विधिक रूप से पोषणीय नही हैं। अपीलार्थी ने नामान्तरकरण दिनांक से अपील पेश करने तक के समय को कण्डोन किये जाने बाबत् भी कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया हैं। अपीलार्थी ने उक्त नामान्तरकण बाबत् जानकारी नही होने के संबंध में भी कोई पुख्ता अथवा ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये हैं।

अपीलार्थी ने अपनी अपील मेमों में कहीं पर भी विपक्षी संख्या 02 के गोदनामें के बारे में कोई खण्डन नहीं किया हैं। जबकि गोदनामा रजिस्टर्ड पंजीबद्व किया हुआ हैं जिसमें दो गवाहन के हस्ताक्षरशुदा है।

पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर ही उक्त नामान्तरकरण फैसल किया हैं जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा